

प्रकरण संख्या 172/2021 वाद  
मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
उपखण्ड अधिकारी निम्वाहेडा जिला निम्वाहेडा  
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)  
उनवान

1. श्रीमति लीला पत्नी विक्रमसिंह जी मीणा निवासी घटेरा तहसील निम्वाहेडा।

—वादी

बनाम

1. श्री किशनलाल मुतबन्ना दत्तक पिता जगन्नाथ जी भील निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेडा।
2. श्री तुलसीराम पिता हीरा जी भील निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेडा।
3. देऊ पुत्री भैरूलाल जी भील निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेडा।
4. श्री देवीलाल पिता केता जी भील निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेडा।
5. श्री नारायण पिता केता जी भील निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेडा।
6. श्री रामनारायण पिता मोतीलालजी भील निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेडा।
7. श्री वक्ता पिता हीरा जी भील निवासी भट्टकोटड़ी तहसील निम्वाहेडा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्वाहेडा।

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थित :- 1- श्री रामचंद्र धाकड़ - अधिवक्ता वादी  
2- श्री ओमप्रकाश धाकड़- अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 3

:: निर्णय ::

दिनांक :-10.10.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी निम्वाहेडा बहाजिरी श्री रामचंद्र धाकड़ वादी अधिवक्ता पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार निम्वाहेडा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र- अंतर्गत धारा 88,53,188 राज, काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा भट्टकोटड़ी पटवार हल्का बड़ोली माधोसिंह के खाता संख्या 92 की आराजी नंबर 105 रकबा 0.4600 हैक्टेयर, आराजी नंबर 109 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, आराजी नंबर 115 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै. मु.चाह, आराजी नंबर 116 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 281 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी नंबर 592 रकबा 1.2400 हैक्टेयर, आराजी नंबर 598 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 644 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, आराजी नंबर 653 रकबा 1.000 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 4.3800 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 31.05.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्वाहेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्वाहेडा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 15.07.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्रीमती लीला पत्नीविक्रमसिंह मीणा सा. घटेरा खातेदार।

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	लगान
105 दक्षिण	0.15	2.85

---

कुल किता-1	0.15	2.85
------------	------	------

---

2. किशनलाल दत्तक पिता जगन्नाथ 175/846 भील सा. देह रहन आइडीआई बैंक शाखा रसुलपूरा, तुलसीराम पिता हीरा 82/423 भील सा. देह, देऊ पिता भैरूलाल 44/423 भील सा.देह, वक्ता पिता हीरा 175/846 भील सा. देह, देवीलाल, नारायण पिता केला 88/423 भील सा. देह, रामनारायण पिता मोतीलाल भील 29/423 सा.


पिपलिया कलां खातेदार उदयलाल पिता घीसालाल 5/423 भील सा.देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयर)	लगान
105 उत्तर	0.31	5.89
115	0.01	-
116	0.21	3.99
281	0.01	0.04
592	1.24	23.56
598	0.19	0.67
644	0.59	5.61
653	1.00	19.00
109	0.67	12.73

किता-9 4.23 71.49

अतः उपरोक्तानुसार बटवारां स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्वाहेड़ा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ..... मुबलिक ..... बाबत .....  
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख  
 से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करे  
 बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.10.2024 को जारी की  
 गई।  
 मुहर

  
 दस्तखत  
 ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुकमनामा			बाबत इजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान ....			मीजान .....		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।